भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3623

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्कूल जाने वाली लड़कियों का स्वास्थ्य

3623. श्री कुलदीप इंदौराः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों को राज्यवार और विशेषकर राजस्थान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार स्कूल जाने वाली बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित करती है:

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूरण कार्यक्रम (डब्ल्यूआईएफएस): इसे देश भर के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को शामिल करते हुए कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम में आयरन और फोलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया की रोकथाम के लिए स्कूल में किशोरियों और स्कूल न जाने वाली किशोरियों को साप्ताहिक पर्यवेक्षित आईएफए गोलियों और कृमि संक्रमण नियंत्रण के लिए वर्ष में दो बार एल्बेंडाजोल गोलियों का प्रावधान है। यह कार्यक्रम प्रमुख हितधारक मंत्रालयों अर्थात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अभिसरण के माध्यम से लागू किया गया है।

किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना : 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को शामिल करने वाली यह योजना मासिक धर्म की स्वच्छता, किशोरियों द्वारा सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच और उनके उपयोग तथा पर्यावरण अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान पर किशोरियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जाती है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) यह सुनिश्चित करता है कि कृमि संक्रमण को कम करने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दो दौर (फरवरी और अगस्त) में एक निश्चित दिन के दृष्टिकोण से स्कूली लड़कियों सहित बच्चों (1-19 वर्ष) को एल्बेंडाजोल गोलियां दी जाएं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से इन कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) कुपोषण की चुनौती का समाधान करने के लिए एक व्यापक योजना है, जिसमें आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोर लड़कियों के लिए योजना (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के घटकों को शामिल किया गया है, जहां विभिन्न क्रियाविधियों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का है।

मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य सामुदायिक जुड़ाव, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और समर्थन जैसी क्रियाविधियों के माध्यम से कुपोषण को कम करना, बेहतर स्वास्थ्य, आरोग्य और प्रतिरक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानकों के अनुसार कुपोषण के पीढ़ी-दर-चक्र को तोड़ने के लिए बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, जो आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं जो गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वास्थ्यवर्धक वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
आंगनवाड़ी केंद्रों को आपूर्ति किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करते हैं और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म पके हुए भोजन और घर ले जाने के लिए राशन तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार बाजरा के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
इस मिशन के अंतर्गत, पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन के माध्यम से सामुदायिक संघटन और जागरूकता समर्थन शुरू करना प्रमुख कार्यकलापों में से एक है क्योंकि पोषण संबंधी अच्छी आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत योजनाओं के लिए राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदनों का ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया है और मिशन पोषण 2.0 के लिए **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

******

दिनांक 21.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3623 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक I

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यक्रमों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एसपीआईपी अनुमोदन (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक धर्म स्वच्छता योजना	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस	साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सं पूरकता
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	21.76	22.06
2	आंध्र प्रदेश	2,009.08	739.06	536.74
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	173.74	252.87
4	असम	274.01	616.57	400.66
5	बिहार	0.00	2,539.20	0.00
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.40
7	छत्तीसगढ़	0.00	521.96	0.00
8	दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव	1.00	10.56	6.40
9	दिल्ली	331.08	230.56	160.36
10	गोवा	6.29	17.89	44.33
11	गुजरात	50.00	666.03	0.00
12	हरियाणा	0.00	402.67	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	100.00	55.40	15.40
14	जम्मू और कश्मीर	628.71	284.49	166.42
15	झारखंड	0.00	1,543.38	36.90
16	कर्नाटक	0.00	939.65	687.24
17	केरल	119.70	581.00	9.60
18	लद्दाख	0.00	0.00	13.80
19	लक्षद्वीप	9.10	0.39	2.50
20	मध्य प्रदेश	115.00	1,236.82	0.00
21	महाराष्ट्र	2,411.29	1,855.77	860.52
22	मणिपुर	114.82	66.95	28.18
23	मेघालय	0.00	89.60	64.70
24	मिजोरम	0.00	57.78	31.50
25	नागालैंड	55.28	121.57	48.66
26	ओडिशा	791.67	836.89	681.06
27	पुद्दूचेरी	36.00	21.55	36.34
28	पंजाब	1,181.65	153.09	236.80
29	राजस्थान	0.00	822.08	542.63
30	सिक्किम	40.10	14.29	14.50
31	तमिलनाडु	4,588.50	778.58	904.89
32	तेलंगाना	1,859.46	589.02	172.60
33	त्रिपुरा	137.45	162.81	223.99
34	उत्तर प्रदेश	0.00	8,822.00	3,656.27
35	उत्तराखंड	4.00	494.37	119.72
36	पश्चिम बंगाल	7,694.88	494.43	731.12

नोट : एसपीआईपी अनुमोदन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई मौजूदा वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार हैं और अनंतिम है।

दिनांक 21.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3623 के उत्तर के भाग(क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक II

मिशन पोषण 2.0 के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले तीन वर्षों में जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**धनराशि करोड़ ₹ में**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	35.71
2	आंध्र प्रदेश	2278.07
3	अरुणाचल प्रदेश	470.67
4	असम	5204.84
5	बिहार	5173.81
6	चंडीगढ़	68.22
7	छत्तीसगढ़	1855.15
8	दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव	27.10
9	दिल्ली	477.69
10	गोवा	39.49
11	गुजरात	2879.30
12	हरियाणा	594.07
13	हिमाचल प्रदेश	819.31
14	जम्मू और कश्मीर	1415.63
15	झारखंड	1448.19
16	कर्नाटक	2682.54
17	केरल	1139.85
18	लद्दाख	53.10
19	लक्षद्वीप	5.43
20	मध्य प्रदेश	3220.15
21	महाराष्ट्र	5059.08
22	मणिपुर	566.15
23	मेघालय	635.41
24	मिजोरम	202.39
25	नागालैंड	622.01
26	ओडिशा	2958.71
27	पुद्दूचेरी	7.37
28	पंजाब	766.70
29	राजस्थान	2748.63
30	सिक्किम	79.54
31	तमिलनाडु	2302.98
32	तेलंगाना	1540.88
33	त्रिपुरा	581.47
34	उत्तर प्रदेश	7798.11
35	उत्तराखंड	1067.74
36	पश्चिम बंगाल	3133.50

*****